

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नरपत मीना बनाम सैतानराम अपील संख्या 29/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/87)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता उपस्थित, उन्होंने अपीलान्ट के अधिवक्ता पूर्व में भी अनुपस्थित होना अवगत कराते हुए अपील को खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट को पुनः आवाज दिलवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में पुनः रूक-रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई। उसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि प्रकरण वर्ष 2022 से शेष रेस्पोंडेन्ट की तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं और आज भी अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।